(25)

विलोपित

न्यायालय श्रीमान रेवेन्यू वोर्ड महोदय अशोकनगर

प्र.क्रं. /निगरानी/15–16

नि0-2422-II/15

श्री कमल कृष्ण चौहान, अभि0
द्वारा आज दि 31-7-15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट 31-7-15
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

मनसींगा पुत्र गनेशा आदिवासी
निवासी पिपरिया तहसील ईसागढ़
जिला अशोकनगर म0प्र0

निगरानीकर्ता

वनाम

1. ऊधम पुत्र भीमा आदिवासी निवासी पिपरिया तहसील ईसागढ़
2. धन्नू पुत्र मनका
3. जग्गू पुत्र मनका
4. भूरा पुत्र नंदा
5. वंशी पुत्र खुशला
6. गोपाल पुत्र अनरत
7. रामसिंह पुत्र गंगा
8. वृन्दावन पुत्र कंजू समस्त जाति आदिवासी समस्त निवासी पिपरिया तह.ईसागढ़ जिला अशोकनगर म.प्र.

प्रतिनिगरानीकर्ता

औपचारिक पार्टी

एम एस चौहान

निगरानी

निगरानी अधीन धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.1959

निगरानी विरूद्व आदेश अधिनस्थ न्यायालय के श्रीमान तहसीलदार महोदय ईसागढ़ उनके प्र.क्रं.41अ12/14–15 दिनांक 18.06.15 के विरूद्व ।

माननीय महोदय,

सेवा में निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी सादर प्रस्तुत है ।

1. यहकि भूम स्थित ग्राम पिपरिया के सर्वे नंबर 90 रकवा 1.986 है0 स्थित है । जिसका सीमांकन दिनांक 18.06.15 को पटवारी ग्राम एवं राजस्व निरिक्षक द्वारा किया गया । जो

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :— निगरानी—2422—दो / 201[illegible] जिला—अशोकनगर

मनसींगा विरूद्ध ऊधम आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
7—08—2019	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी तहसीलदार ईसागढ़, जिला—अशोकनगर के प्रकरण क्रमांक 41 / अ—12 / 2014—15 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 18—06—2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27—07—2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25—9—2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला—अशोकनगर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 05—09—2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (जे0के0 जैन) सदस्य	